राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1024/2011

श्रीमती कौशल्या शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–द्वितीय, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.07.2011
आदेश की दिनांक : 21.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को परिवीक्षा काल पूर्ण होने उपरांत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर स्थायी किया जावे और अपीलार्थी का नाम वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता सूची में जोड़ते हुए स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर हुई थी और अपीलार्थी को दिनांक 13.12.1991 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर भी अपीलार्थी को न तो स्थाई घोषित किया गया और न ही उसका नाम वरिष्ठता सूची में जोडा गया। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं

किया गया। जबकि अपीलार्थी की सेवाएं हमेशा संतोषजनक रहीं हैं, फिर भी उसका नाम न तो वरिष्ठता सूची में जोडा और न ही स्थायी घोषित किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को परिवीक्षा काल पूर्ण होने उपरांत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर स्थायी किया जावे और अपीलार्थी का नाम वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता सूची में जोड़ते हुए स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पात्रता सूची के अनुसार तदर्थ एवं अस्थाई रूप से विभागीय नियमों के अनुसार पदोन्नति दी गई थी, जिसके क्रम में पृथक से परिवीक्षा काल पूर्ण करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर महिला वर्ग की जिला भीलवाडा की वर्ष 1999–2000 की सूची में स्थाई रूप से चयन कर लिया गया है। परंतु दिनांक 01.04.1997 के पश्चात् की गई पदोन्नति से भरे गए पदों की वरिष्ठता सूचियों के निर्माण पर शासन द्वारा ही रोक लगाई हुई है, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर हुई थी और अपीलार्थी को दिनांक 13.12.1991 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर भी अपीलार्थी को न तो स्थाई घोषित किया गया और न ही उसका नाम वरिष्ठता सूची में जोडा गया। जहां तक अपीलार्थी को स्थाई घोषित नहीं किए जाने एवं वरिष्ठता सूची में उसका नाम नहीं जोडे जाने का प्रश्न है, हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर महिला वर्ग की जिला भीलवाडा की वर्ष 1999–2000 की सूची में स्थाई रूप से चयन कर लिया गया है। परंतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.1997 के पश्चात् की गई पदोन्नति से भरे गए पदों की वरिष्ठता सूचियों के निर्माण पर ही रोक लगाई हुई है, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई दुर्भावना एवं मनमाना व्यवहार

प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य